(Answer NO 7)

(7) खतरनाक रसायनो के उत्पादन के लिए आधिसूचित नियम (संशोधन)-2020 है— संक्षेप में यह नियम केन्द्र सरकार के गजट सं० S.O. 966(E) दिनांक 27/11/1989 में प्रकाशित होने के दिन से पूरे कुआथ पूर्ण में देश में लागु होगा जिसका संसोधन 19 दिसम्बर 2000 में किया गया ! यह नियम भयावह रसायनो का प्रयोग वालो उत्पादन करने वालो पर लागु होता है।

भयावह रसायनो का प्रयोग करने वालो को सम्भावित दुर्घटनाओ की पहचान कर लेनी चाहिए। तथा इन्हे पर्याप्त सुरक्षा के उपाय भी अपनाने चाहिए इन रासायनो से प्रभावित होने वाले व्यक्तियो को समुचित जानकारी उपलब्ध करा देनी चाहिए। भयावह रासायनो के पात्रो पर विशिष्ट सुचनाओ के निर्देश लेबल चिपका देना चाहिए इन रसायनो के आयात के समय निदिष्ट तरीको का प्रयोग किया जाता चाहिए इस नियम के अन्तर्गत खतरनाक रसायनो के आयात के समस्त अभिलेखो को तैयार करने सम्बन्धी बाते वर्णित है।

REDMI NOTE 8